न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

परमात्मा सिंह बनाम् कुलदीपसिंह आदि

प्रकरण संख्या–07/2025
अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.ए.

जी.सी.एम.एस नं.–2025/22

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
14.02.2025	आज यह पत्रावली प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। वकील प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक–77 जी.बी (ए) का मुरब्बा नं.–21 का पत्थर नं.–280/416 का 2.846 हैक्टर व मुरब्बा नं.–10 पत्थर नं.–283/415 का 1.455 हैक्टर व मुरब्बा नं.–33 पत्थर नं.–289/418 का 1.518 हैक्टर इस प्रकार कुल कृषि भूमि 5.819 हैक्टर नहरी खातेदारी पर प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने करवाने से तथा चक–22 ए.पी.डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–8 पत्थर नं.–283/407 का किला नं.–20/2 में स्थापित प्रार्थी के ट्यूबवैल से प्रार्थी के उपरोक्त रक्बा तक प्रार्थी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन अप्रार्थी सं.–1 व 2 के पिता के नाम से चक–22 ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–14 पत्थर नं. –284/408 का किला नं.–5, 6, 15, 16, 25 से डाली हुई है। **उक्त पाईपलाईन को किसी प्रकार की तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त अथवा उखाड़ा नहीं जावे तथा प्रार्थी की सिचांई सुविधा के किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करवे व करवाने से आगामी तारीख पेशीं तक बाज व ममनू रहें।** सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए. डी. के पेश करे। बहस हेतु अवसर मागंने पर एतराज होने पर यह स्थगन आदेश निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा। रजि. ए.डी. नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आईन्दा दिनांक–12.03.2025 पेश हो। सुरेश राव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
12-3-25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O.साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 15-4-25 को प्रस्तुत हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

15-4-25 पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से मूला राम डागा ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र आईन्दा दिनांक 6/5/25 को पेश हो।

6/5/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रा० पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल हो। एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र 212 RTA आईन्दा दिनांक 21/5/25 को पेश हो।

21/5/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वास्ते बहस प्रा० पत्र 212 RTA आईन्दा दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

23/6/25 पत्रावली प्रस्तुत। पूर्व आदेशों की पालना में आईन्दा दिनांक 25/6/25 को पेश हो।

25-6-25 पत्रावली प्रस्तुत। P.O. महो० अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली 26/6/25 को पेश हो।

26-6-25 पत्रावली प्रस्तुत। उपखण्ड अधिकारी ... इस वाद में राजीनामा व ... इस वाद के राजीनामा ... होने के कारण उक्त प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा अतः इसको प्रा० पत्र उसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

Identified by me
मनदीप सिंह
कुलदीप सिंह
Identified by me

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
	प्रार्थना पत्र फैसलानुसार होकर दाखिल दफ्तर होवे एवं नम्बर से कम हो। सुरेश राव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested